क्रम-संख्या–242(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अगस्त, 2026

श्रावण 19, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्या I/1424064-2026

लखनऊ, 10 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–54

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म (समूह 'क' एवं 'ख') सेवा नियमावली, 2019 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ—एक

(विद्यमान नियम)

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:—

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:—

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			क्र0 सं0	पदों के नाम	पदों की संख्या		
	समूह—क के पद	स्थायी	अस्थायी	कुल		समूह 'क' के पद	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	निदेशक	01	—	01	1	निदेशक	01	—	01
	——	——	—	—	2	अपर निदेशक (प्रशासन)	—	01	01
2	अपर निदेशक	—	02	02	3	अपर निदेशक	—	02	02
3	संयुक्त निदेशक	02	02	04	4	संयुक्त निदेशक	02	02	04
4	मुख्य रसायनज्ञ	01	—	01	5	मुख्य रसायनज्ञ	01	—	01
5	ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता	—	01	01	6	ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता	—	01	01
6	भूवैज्ञानिक	11	—	11	7	भू—वैज्ञानिक	11	—	11
7	रसायनज्ञ	04	—	04	8	रसायनज्ञ	04	—	04
8	ज्येष्ठ खान अधिकारी	05	10	15	9	ज्येष्ठ खान अधिकारी	05	10	15
9	भू—भौतिकविद्	01	—	01	10	भू—भौतिकविद्	01	—	01
10	वेधन अभियन्ता	02	—	02	11	वेधन अभियन्ता	02	—	02

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या			क्र0 सं0	पदों के नाम	पदों की संख्या		
	समूह–ख के पद	स्थायी	अस्थायी	कुल		समूह 'ख' के पद	स्थायी	अस्थायी	कुल
1	सहायक भूवैज्ञानिक	26	–	26	1	सहायक भू–वैज्ञानिक	26	–	26
2	सहायक रसायनज्ञ	11	–	11	2	सहायक रसायनज्ञ	11	–	11
3	खान अधिकारी	30	22	52	3	खान अधिकारी	30	22	52
4	भूरसायनज्ञ (भू–विज्ञान)	01	–	01	4	भू–रसायनज्ञ (भू–विज्ञान)	01	–	01
5	सहायक भू–भौतिकविद्	04	–	04	5	सहायक भू–भौतिकविद्	04	–	04
6	सहायक वेधन अभियन्ता	02	–	02	6	सहायक वेधन अभियन्ता	02	–	02
7	अधिकारी सर्वेक्षण	01	01	02	7	अधिकारी सर्वेक्षक	01	01	02
8	प्रभारी अधिकारी नक्शा अनुभाग	01	–	01	8	प्रभारी अधिकारी नक्शा अनुभाग	01	–	01

स्तम्भ–एक

(विद्यमान नियम)

परन्तु यह किः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकती हैं जैसा वह उचित समझें।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

परन्तु यह किः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

नियम 5 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक

(विद्यमान नियम)

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

समूह–'क' के पद

(1) निदेशक–राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। अनुपलब्धता की दशा में, मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों, मुख्य रसायनज्ञ और ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

भर्ती का स्रोत

5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

समूह 'क' के पद

(1) निदेशक–भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सचिव स्तर के अधिकारियों में से तैनाती द्वारा।

स्तम्भ–एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ–दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
––	**(2) अपर निदेशक (प्रशासन)**–भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग अथवा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संवर्ग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी में से तैनाती द्वारा।
(2) अपर निदेशक –एक पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद से पदोन्नत) में से जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, और एक पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (भूवैज्ञानिक एवं भू–भौतिकविद् के पद से पदोन्नत), मुख्य रसायनज्ञ और ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता में से जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम, से पदोन्नति द्वारा।	**(3) अपर निदेशक** –एक पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद से पदोन्नत) में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, और एक पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (भू–वैज्ञानिक एवं भू–भौतिकविद् के पद से पदोन्नत), मुख्य रसायनज्ञ और ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता में से, जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी**ः– अपर निदेशक के एक पद के पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त पात्रता सूची में उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक समान हो तो अभ्यर्थी जो आयु में ज्येष्ठ हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
(3) संयुक्त निदेशक – दो पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ खान अधिकारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, और दो पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भूवैज्ञानिकों एवं भू–भौतिकविद् में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, **टिप्पणी**ः–निदेशक, अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पदों हेतु पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त पात्रता सूची में उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के क्रम में रखे जायेंगें, किन्तु यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनाँक समान हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी, जो आयु में ज्येष्ठ हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।	**(4) संयुक्त निदेशक** – दो पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ खान अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। और दो पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भू–वैज्ञानिकों एवं भू–भौतिकविद् में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी**ः–संयुक्त निदेशक के दो पद हेतु पदोन्नति के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त पात्रता सूची में उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनाँक समान हो तो अभ्यर्थी, जो आयु में ज्येष्ठ हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

स्तम्भ–एक **(विद्यमान नियम)**	स्तम्भ–दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
(4) मुख्य रसायनज्ञ–मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(5) मुख्य रसायनज्ञ**–मौलिक रूप से नियुक्त रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(5)ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता–मौलिक रूप से नियुक्त वेधन अभियन्ताओं में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(6) ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता**–मौलिक रूप से नियुक्त वेधन अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(6) भूवैज्ञानिक–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक भू–वैज्ञानिकों एवं भू–रसायनज्ञ (भूविज्ञान) में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(7) भू–वैज्ञानिक**–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक भू–वैज्ञानिकों एवं भू–रसायनज्ञ (भू–विज्ञान) में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणीः–पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त पात्रता सूची, मौलिक नियुक्ति के दिनाँक के आधार पर तैयार की जायेगी और यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी उसी दिनाँक को नियुक्त हुए हों तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।	**टिप्पणीः**–पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त पात्रता सूची, अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनाँक के आधार पर तैयार की जायेगी और यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी उसी दिनाँक को नियुक्त हुए हों तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
(7) रसायनज्ञ–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक रसायनज्ञों में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(8) रसायनज्ञ**–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक रसायनज्ञों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(8) ज्येष्ठ खान अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त खान अधिकारियों में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(9) ज्येष्ठ खान अधिकारी**–मौलिक रूप से नियुक्त खान अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(9) भू–भौतिकविद्–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक भू–भौतिकविदों में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(10) भू–भौतिकविद्**–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक भू–भौतिकविदों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(10) वेधन अभियन्ता–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक वेधन अभियन्ताओं में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(11) वेधन अभियन्ता**–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक वेधन अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–एक **(विद्यमान नियम)** **समूह 'ख' के पद**	स्तम्भ–दो **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)** **समूह 'ख' के पद**
(1) सहायक भूवैज्ञानिक– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों (भू–विज्ञान) में से, जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(1) सहायक भू–वैज्ञानिक–** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों (भू–विज्ञान) में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) सहायक रसायनज्ञ– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा । (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों (रसायन) में से, जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(2) सहायक रसायनज्ञ–** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा । (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायकों (रसायन) में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) खान अधिकारी– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त खान निरीक्षकों में से, जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(3) खान अधिकारी–** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त खान निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4) भू–रसायनज्ञ (भूविज्ञान)– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	**(4) भू–रसायनज्ञ (भू–विज्ञान)–** आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(5) सहायक भू–भौतिकविद्– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायक (भू–भौतिकी) में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(5) सहायक भू–भौतिकविद्–** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्राविधिक सहायक (भू–भौतिकी) में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(6) सहायक वेधन अभियन्ता– (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वेधकों में से जिन्होनें भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(6) सहायक वेधन अभियन्ता–** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वेधकों में से जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

460 RPH 2026 (Bhutatv avam khanikarm Anubhag-1) Data 1e

स्तम्भ—एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(7) अधिकारी सर्वेक्षक— (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सर्वेक्षकों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	**(7) अधिकारी सर्वेक्षक—** (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सर्वेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(8) प्रभारी अधिकारी नक्शा अनुभाग— ज्येष्ठ नक्शा नवीश में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, पदोन्नति द्वारा।	**(8) प्रभारी अधिकारी नक्शा अनुभाग—** ज्येष्ठ नक्शा नवीश में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों, पदोन्नति द्वारा।

नियम 8 का संशोधन

4— उक्त नियमावली में नियम—8 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(3) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :—

स्तम्भ—एक (विद्यमान उपनियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
8(3) खान अधिकारी— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियन्त्रण में उपाधि या खनिकर्म प्रचालन के पर्यवेक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियन्त्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और खनिज रियायत कार्य को व्यवहृत करने में दो वर्षों का अनुभव।	**8(3) खान अधिकारी**— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियन्त्रण में उपाधि या खनिकर्म प्रचालन के पर्यवेक्षण में कम से कम एक वर्ष का अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियन्त्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा और खनिज रियायत कार्य को व्यवहृत करने में दो वर्षों का अनुभव। अनुभव प्रमाण-पत्र का विहित प्रारूप परिशिष्ट—1 के रूप में संलग्न है।

नियम 22 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

स्तम्भ—एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
वेतनमान 22—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैंः—	**वेतनमान** 22—(1)सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैंः—

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	क्र0 सं0	पदों के नाम	वेतनमान
	समूह–'क' के पद			समूह 'क' के पद	
1	निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क– रु0 1,31,100– 2,16,600	1	निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 14 – रु0 1,44,200–2,18,200
	––	––	2	अपर निदेशक (प्रशासन)	आई0ए0एस0/पी0सी0 एस0 संवर्ग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी के वेतनमान के अनुसार
2	अपर निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13– रु0 1,23,100–2,15,900	3	अपर निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 – रु0 1,23,100–2,15,900
3	संयुक्त निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200	4	संयुक्त निदेशक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200
4	मुख्य रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200	5	मुख्य रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200
5	ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200	6	ज्येष्ठ वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 – रु0 78,800–2,09,200
6	भूवैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700	7	भू–वैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 11 – रु0 67,700–2,08,700
7	रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700	8	रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700
8	ज्येष्ठ खान अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700	9	ज्येष्ठ खान अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700–2,08,700
9	भू–भौतिकविद	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700	10	भू–भौतिकविद	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700–2,08,700
10	वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700– 2,08,700	11	वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 – रु0 67,700–2,08,700
	समूह–'ख' के पद			समूह 'ख' के पद	
1	सहायक भूवैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500	1	सहायक भू–वैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500
2	सहायक रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100– 1,77,500	2	सहायक रसायनज्ञ	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500
3	खान अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500	3	खान अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 – रु0 56,100–1,77,500
4	भू–रसायनज्ञ (भूविज्ञान)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500	4	भू–रसायनज्ञ (भू–विज्ञान)	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 10 – रु0 56,100–1,77,500
5	सहायक भू– भौतिविद्	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100– 1,77,500	5	सहायक भू–भौतिकविद्	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500

-

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	क्र0 सं0	पदों के नाम	वेतनमान
	समूह–'ख' के पद			समूह 'ख' के पद	
6	सहायक वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500	6	सहायक वेधन अभियन्ता	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500
7	अधिकारी सर्वेक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100– 1,77,500	7	अधिकारी सर्वेक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500
8	प्रभारी अधिकारी मानचित्रण अनुभाग	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500	8	प्रभारी अधिकारी मानचित्रण अनुभाग	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 – रु0 56,100–1,77,500

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव,
सचिव।

नियम 8(3) देखें

परिशिष्ट–1

खान में अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप

संख्या.................. दिनांक :...........................

*कोयला खान विनियम, 2017/*धात्विक खान विनियम, 1961/उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अधीन योग्यता का प्रमाण-पत्र हेतु अभ्यर्थी को प्रबन्धक/अभिकर्ता/स्वामी द्वारा प्रदान किया गया व्यावहारिक अनुभव का प्रमाण-पत्र।

मैं, ...(जारीकर्ता अधिकारी का नाम)..................................(खान का नाम)............................. का *प्रबंधक/स्वामी$^{\Delta}$ होने के नाते, '#'.........................(खनिज).........................खान, श्रमिक पहचान संख्या (एल0आइ0एन0) -----------------------------,जो................(स्वामी/कम्पनी).................से सम्बंधित है, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि *श्री/कुमारी/श्रीमती.................(अभ्यर्थी का नाम)..................(जिनका हस्ताक्षर नीचे संलग्न है) *पुत्र/पुत्री/पत्नी ----------------------------- का, उक्त खान में -------------------------- से ------------------------ तक कार्य किया है। *अपना/अपनी पूर्वोक्त कार्यावधि के दौरान *उसने व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, जैसा कि विवरण आगे पृष्ठ पर है। *उसने अपने कार्य से जुड़े कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक संपादित किया हो, मुझे विश्वास है कि वह अच्छे चरित्र का है और योग्यता का प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु योग्य और उचित व्यक्ति है।

2– सुसंगत अवधि के लिए उक्त अभ्यर्थी की ओर से वेतन आहरण का सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रमाण इसके साथ संलग्न हैं।

दिनांक : ....

(जारी कर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर)

जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम :

पदनाम :

प्राधिकारिक मुद्रा :

धारित कानूनी प्रमाण-पत्र :

कानूनी प्रमाण-पत्र संख्या :

डाकघर :

जिला :

राज्य :

पिन :

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

क्र0 सं0	व्यावहारिक अनुभव की विशिष्टियॉ	अनुभव का स्थान (भूमिगत/ विवृत खनिज/ भूमिस्थ)	व्यावहारिक अनुभव की अवधि		कुल अनुभव		
			से	तक	वर्ष	महीने	दिन
				कुल योग			

उपर्युक्त अवधि के दौरान	भूमिगत कार्यों में	विवृत खनिज में	कुल मिलाकर
औसत मासिक उत्पादन			
औसत दैनिक रोजगार			

(जारी कर्ता प्राधिकारी का दिनांक सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकारिक मुद्रा : ——————————————

टिप्पणी :

1- उपर्युक्त अनुभव प्रमाण-पत्र केवल स्वामी$^{\Delta}$/प्रबंधक ही जारी कर सकता हैं। जो प्रमाण-पत्र खान के प्रबंधक/अभिकर्ता/स्वामी द्वारा जारी नहीं किया गया है या जिस पर उनकी प्राधिकारिक मुद्रा नहीं है, वह विधि मान्य नहीं होगा।

2- *जो भी लागू न हो उसे हटा दें/काट दें;

3- #(खनिज का राज्य नाम); ''

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of notification no. I/1424064-2026 dated August 10, 2026:

No. . I/1424064-2026

Dated Lucknow, August 10, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Geology and Mining (Group “A” and “B”) Service rules, 2019.

THE UTTAR PRADESH GEOLOGY AND MINING (Group “A” and “B”)
SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Geology and Mining (Group “A” and “B”) service (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of Rule 4

2. In the Uttar Pradesh Geology and Mining (Group "A" and "B") Service Rules, 2019 hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted namely:-

COLUMN-I *(Existing Rule)*	COLUMN-II *(Rule as here by substituted)*
Cadre of service 4.(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:-	**Cadre of service** 4.(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:-

Sl. no.	Name of the posts	Number of posts			Sl. no.	Name of the posts	Number of posts		
	GROUP 'A' POSTS	Permanent	Temporary	Total		GROUP 'A' POSTS	Permanent	Temporary	Total
1	Director	01	--	01	1	Director	01	--	01
	--	--	--	--	2	Additional Director (Administration)	--	01	01
2	Additional Director	--	02	02	3	Additional Director	--	02	02
3	Joint Director	02	02	04	4	Joint Director	02	02	04
4	Chief Chemist	01	--	01	5	Chief Chemist	01	--	01
5	Senior Drilling Engineer	--	01	01	6	Senior Drilling Engineer	--	01	01
6	Geologist	11	--	11	7	Geologist	11	--	11
7	Chemist	04	--	04	8	Chemist	04	--	04
8	Senior Mines Officer	05	10	15	9	Senior Mines Officer	05	10	15
9	Geophysicist	01	--	01	10	Geophysicist	01	--	01
10	Drilling Engineer	02	--	02	11	Drilling Engineer	02	--	02
	GROUP 'B' POSTS	Permanent	Temporary	Total		GROUP 'B' POSTS	Permanent	Temporary	Total
1	Assistant Geologist	26	--	26	1	Assistant Geologist	26	--	26
2	Assistant Chemist	11	--	11	2	Assistant Chemist	11	--	11
3	Mines Officer	30	22	52	3	Mines Officer	30	22	52
4	Geo-Chemist (Geology)	01	--	01	4	Geo-Chemist (Geology)	01	--	01
5	Assistant Geophysicist	04	--	04	5	Assistant Geophysicist	04	--	04
6	Assistant Drilling Engineer	02	--	02	6	Assistant Drilling Engineer	02	--	02
7	Officer Surveyor	01	01	02	7	Officer Surveyor	01	01	02
8	Officer in Charge Map Section	01	--	01	8	Officer in Charge Map Section	01	--	01

COLUMN-I (*Existing Rule*)	COLUMN-II (*Rule as here by substituted)*
Provided that :- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or (ii) the Governor may Create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	**Provided that :-** (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or (ii) the Governor may Create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Amendment of Rule 5

3- In the said rules, *for* existing Rule 5 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I (*Existing Rule*)	COLUMN-II (*Rule as here by substituted)*
Source of recruitment 5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-	**Source of recruitment** 5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-
GROUP ´A' POSTS	**GROUP ´A' POSTS**
(1) Director- by deputation from state Government, failing which by promotion through the Departmental Selection Committee from substantively appointed Additional Directors. In case of unavailability, by promotion from amongst substantively appointed Joint Directors, Chief Chemist, and Senior Drilling Engineer who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(1) Director- By posting from amongst the secretary level officers of Indian Administrative Service Cadre.
-----	(2) Additional Director (Administration) By posting from amongst the Special Secretary level officers of Indian Administrative Service Cadre or Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Cadre.
(2)Additional Director-One post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors (promoted from the post of Senior Mines Officer) who have completed three years services as such on the first day of the year of recruitment.	(3)Additional Director-One post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors (promoted from the post of Senior Mines Officer) who have completed three years services as such on the first day of the year of recruitment.
And	And
One post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Joint Directors (promoted from the post of Geologist and Geophysicist), Chief Chemist and Senior Drilling Engineer who have completed three years services as such on the first day of the year of recruitment.	One post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Joint Directors (promoted from the post of Geologist and Geophysicist), Chief Chemist and Senior Drilling Engineer who have completed three years services as such on the first day of the year of recruitment. **NOTE-** for the purpose of promotion of one post of Additional Director, the name of candidate shall be arranged in the combined eligibility list in order of their date of substantive appointment in respective cadre. But if the date of the substantive appointment of two or more candidates is the same, then the candidate who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.

COLUMN-I *(Existing Rule)*	COLUMN-II *(Rule as here by substituted)*
(3) Joint Director-Two post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Senior Mines Officers who have completed five years of services as such on the first day of the year of recruitment. And Two post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Geologist and Geophysicist who have completed five years of services as such on the first day of the year of recruitment.	(4) Joint Director-Two post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Senior Mines Officers who have completed five years of services as such on the first day of the year of recruitment. And Two post by promotion through the Departmental Selection Committee from amongst such substantively appointed Geologist and Geophysicist who have completed five years of services as such on the first day of the year of recruitment.
NOTE:- For the purpose of promotion for the post of Director, Additional Director and Joint Director the name of candidates shall be arranged in the eligibility list in order of their respective cadres but if the date of the substantive appointment of two or more candidates is the same then in such situation the candidates who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.	**NOTE:-** For the purpose of promotion for the two post of Joint Director the name of candidates shall be arranged in the combined eligibility list in order of their date of substantive appointment in respective cadres but if the date of the substantive appointment of two or more candidates is the same then the candidate who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.
(4) Chief Chemist-by Promotion through the Departmental selection committee from amongst Substantively appointed Chemists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment .	(5) Chief Chemist-By Promotion through the Departmental Selection Committee from amongst Substantively appointed Chemists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment .
(5) Senior Drilling Engineer-by Promotion through the Departmental selection committee from amongst Substantively appointed Drilling Engineers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment .	(6) Senior Drilling Engineer-By Promotion through the Departmental Selection Committee from amongst Substantively appointed Drilling Engineers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment .
(6) Geologist-by promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant Geologists & Geo-chemist (Geology) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(7) Geologist-By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Geologists & Geo-chemist (Geology) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
NOTE: For the purpose of promotion a combined eligibility list shall be prepared on the basis of date of substantive appointment and if two or more candidates were so appointed on the same date, the person older in age shall be placed higher.	**NOTE:** For the purpose of promotion a combined eligibility list shall be prepared on the basis of date of substantive appointment in respective cadre and if two or more candidates were so appointed on the same date, the person older in age shall be placed higher.

COLUMN-I (*Existing Rule*)	COLUMN-II (*Rule as here by substituted)*
(7) Chemist-by Promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant Chemists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(8) Chemist-By Promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Chemists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
(8) Senior Mines Officer- by Promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Mines Officer who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(9) Senior Mines Officer- By Promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Mines Officer who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
(9) Geophysicist- by promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant Geo-Physicists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(10) Geophysicist-By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Geo-Physicists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
(10) Drilling Engineer-by Promotion through the Departmental selection committee from amongst substantively appointed Assistant Drilling Engineers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(11) Drilling Engineer-By Promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Drilling Engineers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
GROUP ´B' POSTS	**GROUP ´B' POSTS**
(1)Assistant Geologist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.	(1) Assistant Geologist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.
(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistants (Geology) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistants (Geology) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.
(2) Assistant Chemist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.	(2) Assistant Chemist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.
(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistants (Chemistry) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistants (Chemistry) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.
(3) Mines Officer-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.	(3) Mines Officer-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission.
(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Mines Inspectors who have completed four years service as such on the first day of the year of recruitment.	(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Mines Inspectors who have completed four years service as such on the first day of the year of recruitment.

COLUMN-I *(Existing Rule)*	COLUMN-II *(Rule as here by substituted)*
(4) Geo-Chemist (Geology)-by direct recruitment through the Commission.	(4) Geo-Chemist (Geology)-By direct recruitment through the Commission.
(5) Assistant Geophysicist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistant (Geophysics) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.	(5) Assistant Geophysicist-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Technical Assistant (Geophysics) who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.
(6) Assistant Drilling Engineer-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Drillers who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.	(6) Assistant Drilling Engineer-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Drillers who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.
(7) Officer Surveyor-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Senior Surveyors who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.	(7) Officer Surveyor-(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Senior Surveyors who have completed four years Service as such on the first day of the year of recruitment.
(8) Officer in Charge Map Section-by promotion amongst Senior Draftsmen who have completed 04 years of service as such on the first day of the year of recruitment .	(8) Officer in Charge Map Section-by promotion from amongst Senior Draftsmen who have completed 04 years of service as such on the first day of the year of recruitment .

Amendment of Rule 8

4. In the said rules in Rule 8 *for* existing sub-rule (3) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *(Existing Sub-rule)*	COLUMN-II *(Sub-rule as here by substituted)*
8(3) Mines officer- Degree in Mining Engineering from a University established by law in India or Three years Diploma in Mining Engineering from recognized Institution with at least one year experience in supervising mining operation and two years experience in dealing with mineral concession.	8(3) Mines officer- Degree in Mining Engineering from a University established by law in India or Three years Diploma in Mining Engineering from recognized Institution with at least one year experience in supervising mining operation and two years experience in dealing with mineral concession work. The prescribed format of experience Certificate is Appended as Appendix-1.

5. In the said rules, *for* existing rule 22 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :- Amendment of Rule 22

COLUMN-I (*Existing Rule*)	COLUMN-II *(Rule as here by substituted)*
Scale of Pay	**Scale of Pay**
22(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	22(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :-	(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :-

Sl. no.	Name of posts GROUP ´A' POSTS	Scale of pay	Sl. no.	Name of posts GROUP ´A' POSTS	Scale of pay
1	Director	Pay Matrix Level-13 A – 1,31,100-2,16,600	1	Director	Pay Matrix Level-14 1,44,200-2,18,200
	-------		2	Additional Director (Administration)	As per scale of Special Secretary level officer of IAS/PCS cadre.
2	Additional Director	Pay Matrix Level-13 – 1,23,100-2,15,900	3	Additional Director	Pay Matrix Level-13 – 1,23,100-2,15,900
3	Joint Director	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200	4	Joint Director	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200
4	Chief Chemist	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200	5	Chief Chemist	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200
5	Senior Drilling Engineer	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200	6	Senior Drilling Engineer	Pay Matrix Level-12 – 78,800-2,09,200
6	Geologist	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700	7	Geologist	Pay Matrix Level-11 – 67,700- 2,08,700
7	Chemist	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700	8	Chemist	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700
8	Senior Mines Officer	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700	9	Senior Mines Officer	Pay Matrix Level-11– 67,700- 2,08,700
9	Geophysicist	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700	10	Geophysicist	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700
10	Drilling Engineer	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700	11	Drilling Engineer	Pay Matrix Level-11 – 67,700-2,08,700

Sl. no.	Name of posts	Scale of pay	Sl. no.	Name of posts	Scale of pay
	GROUP ´B' POSTS			GROUP ´B' POSTS	
1	Assistant Geologist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	1	Assistant Geologist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
2	Assistant Chemist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	2	Assistant Chemist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
3	Mines Officer	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	3	Mines Officer	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
4	Geo-Chemist (Geology)	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	4	Geo-Chemist (Geology)	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
5	Assistant Geophysicist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	5	Assistant Geophysicist	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
6	Assistant Drilling Engineer	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	6	Assistant Drilling Engineer	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
7	Officer Surveyor	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	7	Officer Surveyor	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500
8	Officer in Charge Map Section	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500	8	Officer in Charge Map Section	Pay Matrix Level-10 – 56,100-1,77,500

By order,

MALA SRIVASTAVA,

Sachiv.

***See* Rule 8(3)**

APPENDIX-1

PROFORMA OF EXPERIENCE CERTIFICATE IN A MINE

No.................. Date:..................

Certificate of practical experience granted by the Manager/Agent/Owner to a candidate for Certificate of Competency under *the Coal Mines Regulations, 2017 / *the Metalliferous Mines Regulations, 1961 / Uttar Pradesh Minor mineral (Concession) Rule, 2021.

I, ...(Name of Issuing official)......being the *Manager/Owner$^{\Delta}$ of ....(Name of Mine)........................., '#'..................(Mineral)......................... Mine, Labour Identification Number (LIN)-..........................., belonging to...........................(Owner/ Company).............................,do hereby certify that *Shri/Kumari/Smt.................(Name of Candidate)...................(whose signature is appended below) *Son/ Daughter/ Wife of ...., has worked in the above mine from .... to .... During *his/her term of aforesaid work, *he/she has obtained practical experience as detailed overleaf. The duties connected with *his/ her work have been efficiently performed by *him/her. I believe *him/ her to be of good character, fit and proper person for grant of certificate of competency.

2. The duly authenticated proof of the salary drawn on behalf of the said candidate for the relevant period is annexed herewith.

Date:

....

(Signature of Issuing Authority)

Name of Issuing Authority:

Designation:

Official Seal:

Statutory Certificate held:

Statutory Certificate No.:

Post Office:

District:

State:

Pin:

....

(Signature of Candidate)

Sl. no.	Particulars of practical experience	Place of experience (Belowground /Opencast/ Aboveground)	Period of practical experience		Total experience		
			From	To	Years	Months	Days
Grand Total							

During the above period	In below ground workings	In opencast workings	In all
Average Monthly Output			
Average Daily Employment			

....

(Signature of Issuing Authority with date)

Official seal:_____________________________

NOTE:

1. Only Owner$^{\Delta}$/Manager can issue the above Experience certificate. Certificate, not issued by or not having the official seal of the Manager /Agent/Owner of the mine, shall not be valid.
2. *Delete/Strike Out whichever is not applicable;
3. #(State Name of Mineral); "

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 460 राजपत्र–2026–(1132)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 भूतत्व एवं खनिकर्म–2026–(1133)–1500 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

460 RPH 2026 (Bhutatv avam khanikarm Anubhag-1) Data 1e